अध्याय 1: संघीय वित्त का विहंगावलोकन

1.1 प्रस्तावना

संसद में प्रस्तुत संघ सरकार के वार्षिक लेखे में वित्त लेखे व विनियोग लेखे सम्मिलित हैं। संघ सरकार के वित्त लेखे (यू जी एफ ए) भारत की समेकित निधि (सी एफ आई), आकस्मिक निधि व लोक लेखा से प्राप्तियों व भुगतानों को दर्शाते है। विनियोग लेखे में व्यय की तुलना संसद द्वारा प्राधिकृत राशियों के साथ की जाती है तथा प्रत्येक अनुदान/विनियोग के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक दोनों के बीच विविधता के लिये कार्यकारिणी का स्पष्टीकरण दिया जाता हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 में संघीय वित्त का विहंगावलोकन है; अध्याय 2 में वित्त लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां[1] है; तथा अध्याय 3 में विनियोग लेखों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं।

1.2 संघीय वित्त का विहंगावलोकन

1.2.1 बजट व संशोधित प्राक्कलनों की वास्तविक व्यय से तुलना

यह खण्ड बजटीय प्राप्तियों व संवितरणों (बजट प्राक्कलन एव संशोधित प्राक्कलन दोनों स्तर पर) की वित्त लेखा 2018-19 में दर्शाये गये वास्तविक व्यय से तुलना एव विश्लेषण करता है। प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के लिए योजनाबद्ध व वास्तविक मूल्यों की तुलना व विश्लेषण भी किया गया है जैसा कि **तालिका 1.1** में उल्लिखित है। पाँच वर्षों के अन्तराल में चयनित वर्षों अर्थात 2003-04, 2008-09 एवं 2013-14 की स्थिति **अनुलग्नक 1.1** में दर्शायी गई है।

[1] राशियों को इस प्रतिवेदन में पूर्णांकित किया गया है।

तालिका 1.1

प्राक्कलन व वास्तविक प्राप्ति व संवितरण 2018-19 संघ सरकार

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	बजट प्राक्कलन (बी ई)[क]	संशोधित प्राक्कलन (आर ई)[क]	वास्तविक	वास्तविक विविधता बी ई के सापेक्ष में (प्रतिशत)[ख]	वास्तविक विविधता आर ई के सापेक्ष में (प्रतिशत)
1	राजस्व प्राप्तियां	19,93,349	19,92,845	18,06,463	-1,86,886 (-9.38)	-1,86,382 (-9.35)
	कर राजस्व[ग]	14,83,149	14,86,721	13,19,011	-1,64,138 (-11.07)	-1,67,710 (-11.28)
	गैर कर राजस्व[घ]	5,10,200	5,06,124	4,87,452	-22,748 (-4.46)	-18,672 (-3.69)
2	विविध पूंजीगत प्राप्तियां[ङ]	80,000	80,252	94,979	14,979 (18.72)	14,727 (18.35)
3	ऋण और अग्रिमों की वसूली[च]	63,574	64,755	30,257	-33,317 (-52.41)	-34,498 (-53.27)
4	***कुल गैर ऋण प्राप्तियाँ (1+2+3)***	***21,36,923***	***21,37,852***	***19,31,699***	***-2,05,224 (-9.6)***	***-2,06,153 (-9.64)***
5	लोक ऋण की प्राप्ति	66,67,703	69,12,614	67,58,482	90,779 (1.36)	-1,54,132 (-2.23)
6	**समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)**	**88,04,626**	**90,50,466**	**86,90,181**	**-1,14,445 (-1.3)**	**-3,60,285 (-3.98)**
7	लोक लेखा प्राप्तियाँ[छ]	14,42,491	14,93,807	16,92,640	2,50,149 (17.34)	1,98,833 (13.31)
8	***कुल प्राप्तियाँ (6+7)***	***1,02,47,117***	***1,05,44,273***	***1,03,82,821***	***1,35,704 (1.32)***	***-1,61,452 (-1.53)***
9	आकस्मिक निधि	0	0	0	0	0
10	राजस्व व्यय	24,09,895	24,04,513	22,61,571	-1,48,324 (-6.15)	-1,42,942 (-5.94)
11	पूंजीगत व्यय	3,43,692	4,07,128	3,99,523	55,831 (16.24)	-7,605 (-1.87)
12	ऋण और अग्रिम	87,140	94,664	54,667	-32,473 (-37.27)	-39,997 (-42.25)
13	***कुल व्यय (10+11+12)***	***28,40,727***	***29,06,305***	***27,15,761***	***-1,24,966 (-4.4)***	***-1,90,544 (-6.56)***
14	लोक ऋण की अदायगी	60,84,973	61,91,567	60,64,945	-20,028 (-0.33)	-1,26,622 (-2.05)
15	***समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14)***	*89,25,700*	*90,97,872*	*87,80,706*	***-1,44,994 (-1.62)***	***-3,17,166 (-3.49)***
16	लोक लेखा संवितरण[छ]	13,64,482	14,87,602	16,24,118	2,59,636 (19.03)	1,36,516 (9.18)

17	**कुल संवितरण (15+16)**	**1,02,90,182**	**1,05,85,474**	**1,04,04,824**	**1,14,642 (1.11)**	**-1,80,650 (-1.71)**
18	राजस्व घाटा (10-1)	4,16,546	4,11,668	4,55,108	38,562 (9.26)	43,440 (10.55)
19	राजकोषीय घाटा[ज] (13-4)	7,03,804	7,68,453	7,84,062	80,258 (11.40)	15,609 (2.03)

क. वार्षिक वित्तीय विवरणियों से बी ई व आर ई आंकडे लिये गये हैं।

ख. कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशतता की विविधता दर्शाते हैं।

ग. संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत राज्यों को सौंपी गई आय पर कर ₹7,88,092 करोड़ (बी ई) तथा ₹7,61,454 करोड़ (वास्तविक), समाहित नहीं है।

घ. इसमें अनुदान सहायता व अंशदान शामिल हैं।

ड़. इसमें ईक्विटी का विनिवेश (₹4,449 करोड़ का अंकित मूल्य: प्रीमियम: ₹68,171 करोड़) बोनस शेयर (रोकड़ की तटस्थता): ₹252 करोड़: राष्ट्रीय राजमार्ग का मुद्रीकरण: ₹9,681 करोड़ व एस यू यू टी आई सम्पत्तियों आदि की बिक्री: ₹12,426 करोड़ समाहित हैं।

च. बी ई से अधिक वसूलियां: राज्य सरकार (₹5,200 करोड़) विदेशी सरकार (₹45 करोड़) गिरावट: विधानमंडल के साथ केन्द्र प्रशासित क्षेत्र (₹361 करोड़) पी एस यू आदि को ऋण (₹38,201 करोड़)

छ. उचंत व विविध शीर्षों के तहत शेष राशि समाहित नहीं हैं।

ज. बजट का सार (2020-21) के अनुसार, राजकोषीय घाटा ₹6,49,418 करोड़ है। तथापि, वित्त लेखे के अनुसार राजकोषीय घाटा ₹7,84,062 करोड़ है। ₹1,34,644 करोड़ का शुद्ध अंतर एशियाई विकास बैंक/अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कोष को जारी प्रतिभूतियों (₹9,278 करोड़) समाहित न होने के कारण, पी एस बी और एक्जिम बैंक को जारी की गयी प्रतिभूतियाँ (₹1,10,500 करोड़) तथा राज्य सरकार की परियोजनाओं के लिये बाह्य सहायता की प्राप्ति (₹14,351 करोड़) आदि को समाहित न करने के कारण है। ₹515 करोड़ का असंबद्ध अंतर है।

यद्धपि संघ सरकार ने बी ई की तुलना में आर ई स्तर पर राजस्व प्राप्तियों में केवल मामूली गिरावट की परिकल्पना की थी, वास्तविक राजस्व प्राप्ति अनुमान से काफी कम थी। यह प्राथमिक तौर पर निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर (₹56,531 करोड़), निगम कर (₹7,428 करोड़), केन्द्रीय माल व सेवा कर (₹46,366 करोड़), सीमा शुल्क (₹12,225 करोड़), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹28,619 करोड़) और गैर कर राजस्व (₹18,672 करोड़), आर ई से कम संग्रहण होने के कारण था। वास्तविक विविध पूंजीगत प्राप्तियां प्राक्कलनों से अधिक थी, लेकिन यह ऋण व अग्रिम की वसूलियों में बड़ी गिरावट की भरपाई नहीं कर पाई।

33 मुख्य शीर्षो में, वास्तविक राजस्व व्यय, आर ई से ₹28,038 करोड़ अधिक हो गया था, जबकि 73 मुख्य शीर्षो में वास्तविक व्यय, आर ई से ₹1,70,896 करोड़ कम था। वास्तव में संशोधित प्राक्कलनों के प्रति गिरावट के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे: राष्ट्रीय लघु बचत निधि को ऋण के साथ ₹70,000 करोड़ की वापसी के कारण खाद्य सब्सिडी का भुगतान; कृषि पालन पर (₹13,835 करोड़) का व्यय, राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (₹12,859 करोड़) का हस्तांतरण, पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹7,406 करोड़); तथा रेलवे (₹ 4,566 करोड़)।

आर ई चरण पर पूंजीगत व्यय के लिये अनुमानों में वृद्धि मुख्यतः ₹43,220 करोड़ के बैंक के पुनः पूंजीकरण[2] पर पूंजीगत परिव्यय के लिए अतिरिक्त प्रावधान तथा राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण बढ़ने से एन एच ए आई में निवेश, सड़कों व पुलों के लिए ₹8,516 करोड़ के पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त प्रावधान के कारण थी। तथापि वास्तविक पूंजीगत व्यय आर ई प्रावधानों से ₹7,605 करोड़ से कम था, इसका मुख्य कारण बैंक पुन:पूंजीकरण पर वास्तविक पूंजीगत परिव्यय अनुमान से कम होना था।

वास्तविक राजस्व व्यय में सपीडन से राजस्व प्राप्तियों में अधिक कमी के कारण राजस्व घाटा अनुमान से अधिक था। यह ऋण व वसूली में उच्चतर गिरावट तथा इसके वितरण में गिरावट सम्मिलित करने पर राजकोषीय घाटा अनुमान से अधिक था। यह विविध पूंजी प्राप्तियों के आर ई से अधिक होने के अतिरिक्त एवं आर ई चरण में पूंजी परिव्यय अनुमान से थोड़ा कम होने के बावजूद था।

इस स्थिति के लिये सम्भावित कारणों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चलता है कि यद्धपि दिसम्बर 2018[3] की समाप्ति पर राजस्व व व्यय में गिरावट की प्रवृत्ति स्पष्ट थी। इन्हें आर ई में समाहित नहीं किया गया था। उदाहरणार्थ, वर्ष के दौरान गैर ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्ति स्थिर थी (दिसम्बर 2018 की समाप्ति पर वर्ष के लिये बी ई का 62.2 प्रतिशत थी: सी ओ पी पी वाई[4]-67.4 प्रतिशत), जो इंगित करता है कि वर्ष के लिये लक्ष्य प्राप्त किये जाने की सम्भावना नहीं थी। गैर ऋण प्राप्ति के लिये बी ई व आर ई लगभग समान थे। अंतत: वास्तविक गैर ऋण प्राप्ति में आर ई से गिरावट 9.64 प्रतिशत रही। कर राजस्व का प्रकरण भी उसी प्रकार का था (दिसम्बर 2018 की समाप्ति पर बी ई का 63.2 प्रतिशत; सी ओ पी पी वाई-73.4 प्रतिशत) जिसमें बी ई व आर ई में केवल थोड़ी सी भिन्नता थी लेकिन वास्तविक कर राजस्व की प्रवृत्ति स्थिर थी तथा आर ई से 11.3 प्रतिशत कम थे। इसी प्रकार की प्रवृत्ति राजस्व व्यय में थी (दिसम्बर 2018 की समाप्ति पर 75.6 प्रतिशत; सी ओ पी पी वाई-79.6 प्रतिशत) जहां आर ई में मामूली तौर पर कमी आई थी लेकिन वास्तविक, आर ई से 5.94 प्रतिशत कम थी; तथा पूंजीगत व्यय (क्रमश: 70.6 प्रतिशत दिसम्बर 2018 की समाप्ति पर; सी ओ पी पी वाई 76.5 प्रतिशत) जहाँ आर ई स्तर पर प्राक्कलन 18.46 प्रतिशत तक बढ़ गया था इसके विपरीत वास्तविक उपलब्धि मामूली तौर पर 1.87 प्रतिशत कम हुई थी। ये सभी वित्तीय संसाधनों के

---

2 समान राशि के बॉन्ड सम्बन्धित बैंक को जारी करके मिलान किया गया।

3 महानियंत्रक लेखा (सी जी ए) के दिसम्बर 2018 के 'लेखे एक नजर में'

4 पूर्व वर्ष की अनुरूप अवधि।

अवास्तविक मूल्यांकन का संकेत देते है जिसके परिणामस्वरुप ना केवल वास्तविक व्यय में कमी अनुमानित स्तर से निम्न रही बल्कि अधिक राजस्व घाटे का भी कारण रही।

1.2.2 31 मार्च 2019 को संघ सरकार की परिसम्पत्तियाँ व देयतायें

भारत सरकार की परिसम्पत्तियों व देयताओं की स्थिति का एक आशुचित्र **तालिका 1.2** में दिया गया है।

तालिका 1.2 भारत सरकार की परिसंपत्तियां व देयताओं की विवरणी

(₹ करोड़ में)

देयतायें			परिसम्पत्तियां		
विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	विवरण	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को
आंतरिक ऋण	64,01,275	70,74,941	सकल पूंजीगत परिव्यय कम्पनियों, सहकारी समितियों आदि के शेयरों में निवेश	7,96,396	9,89,546
बाह्य ऋण	2,50,090	2,69,961	अन्य पूंजीगत व्यय	17,12,912	19,16, 969
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	5,54,171	5,79,609	सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निधियों, किसानों आदि को ऋण	1,11,249	1,25,546
आकस्मिक निधि	500	500	राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को ऋण	1,62,011	1,71,531
आरक्षित निधियाँ	44,088	26,091	विदेशी सरकारों को ऋण	13,433	13,558
जमा एवं अग्रिम	2,07,968	2,74,294	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम एवं विविध ऋण	110	173
			उचंत एवं विविध शेष	32,726	42,262
			धन प्रेषण शेष	9,151	14,058
			नकद निवेश शेष	1,62,555	1,22,692
			सामान्य नकद शेष	1,408	2,729
			विभागीय कार्यालयों के पास नकद	4,604	8,654
			स्थायी नकद अग्रदाय	93	100
			घाटा		
			वर्ष के लिए राजस्व घाटा	4,48,942	4,55,108
			संचित घाटा (संतुलित आंकड़ा)	40,02,502	43,62,470
कुल	74,58,092	82,25,396	कुल	74,58,092	82,25,396

स्त्रोत: संघ सरकार वित्त लेखा

आरक्षित निधि के अंतर्गत शेष राशि में कमी मुख्यत: वर्ष के दौरान जी एस टी क्षतिपूर्ति निधि के अथशेष (₹15,000 करोड़) का उपयोग करने तथा गैर कर राजस्व के रुप में केन्द्रीय सड़क निधि से ₹10,250 करोड़ के हस्तांतरण

(लेखांकन सिद्धांतो का उल्लंघन) के कारण थी। जमा व अग्रिम के तहत जमा में वृद्धि मुख्य रुप से वर्ष के दौरान ₹48,419 करोड़ की राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण जमा की प्राप्ति के कारण है। अन्य मदों के तहत विविधतायें इस अध्याय के बाद के खंड़ो में दर्शायी गयी है।

1.2.3 संसाधनः निधियों के स्त्रोत और अनुप्रयोग

वर्ष के दौरान संघ सरकार ने कुल ₹1,11,98,260 करोड़ के संसाधन जुटाए जो कि विभिन्न उद्देश्यों के लिये लागू किए गए थे। नीचे दी गई **तालिका 1.3** विभिन्न निधियों के स्त्रोत और अनुप्रयोगों को दर्शाती है।

तालिका 1.3 निधियों के स्त्रोत और अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

I.	**उपलब्ध संसाधन**				**1,11,98,260**
	(क).	अथ नकद शेष	1,408		
	(ख).	कर/गैर-कर राजस्व एवं राज्यों का हिस्सा देने से पूर्व की सकल राजस्व प्राप्तियाँ	25,67,917		
	(ग).	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ	1,25,236		
	(घ)	सकल ऋण प्राप्तियाँ	67,58,482		
	(ङ).	लोक लेखा में सकल उपचय	17,45,217		
II.	**संसाधनों का अनुप्रयोग**				**1,11,95,531**
	(क)	**ऋण की वापसी**		60,64,945	
	(i)	आंतरिक ऋण	60,34,207		
	(ii)	बाह्य ऋण	30,738		
	(ख)	**लोक लेखा में देयताओं का निर्वहन**		16,53,371	
	(i)	लघु बचत एवं भविष्य निधि	9,78,883		
	(ii)	आरक्षित निधि	3,40,157		
	(iii)	जमा एवं अग्रिम	2,99,172		
	(iv)	अन्य	35,159		
	(ग)	**वास्तविक व्यय**		27,15,761	
	(i)	राजस्व व्यय	22,61,571		
	(ii)	पूंजीगत व्यय	3,99,523		
	(iii)	ऋण एवं अग्रिम	54,667		
	(घ)	**करों में राज्यों का हिस्सा**		7,61,454	
		आकस्मिक निधि का विनियोग		-	0
III	**अंत नकद शेष**				**2,729**

(क) निधियों के स्त्रोत:

राजस्व प्राप्तियाँ जिनमें शामिल कर राजस्व (₹20,80,466 करोड़), गैर-कर राजस्व (₹4,86,389 करोड़) और बाह्य सहायता (₹1,063 करोड़) ने 23 प्रतिशत संसाधनों का योगदान दिया। कर राजस्व के अन्तर्गत प्रत्यक्ष कर ₹11,36,780

करोड़ (55 प्रतिशत) और अप्रत्यक्ष कर ₹ 9,43,686 करोड़ (45 प्रतिशत) थे। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में रेलवे राजस्व (₹1,87,738 करोड़); लाभांश (₹1,13,427 करोड़) दूरसंचार प्राप्तियाँ (₹40,816 करोड़); सड़क और पुल से प्राप्तियाँ (₹19,871 करोड़) और पेट्रोलियम अधिनियम के तहत लाभ और रॉयल्टी (₹14,197 करोड़) थी।

पूंजीगत प्राप्तियों के दो संघटक है पहला ऋण प्राप्तियाँ (₹67,58,482 करोड़) है जो भविष्य के भुगतान दायित्वों का निर्माण करती है और वर्ष की सकल प्राप्तियों में 60 प्रतिशत का योगदान देती है। दूसरा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ है जिसमें विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹94,979 करोड़) और ऋण व अग्रिमों की वसूली (₹30,257 करोड़) समाहित है। इनमें पूर्व में मुख्य रूप से विनिवेश से आय, 'यू टी आई के विशेष उपक्रम' (एस यू यू टी आई) के सम्बंध में प्राप्तियां तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विमुद्रीकरण से प्राप्तियां है। दूसरे घटक से आय कुल सकल राजस्व प्राप्तियों का एक प्रतिशत है तथा वास्तविक अथवा सम्भावित परिसम्पत्ति आधार में कमी दर्शाता है।

लोक लेखा में शेष जुटाये गये संसाधन, संसाधनों का 16 प्रतिशत थे।

(ख) निधियों का अनुप्रयोग:

वर्ष के दौरान कुल जुटाए गए संसाधनों में से 81 प्रतिशत प्रतिबद्ध व्यय था। जिसमें ऋण चुकौती (54 प्रतिशत), लोक लेखे की देनदारियों का निर्वहन (15 प्रतिशत), ब्याज भुगतान (पाँच प्रतिशत), और राज्यों को सकल कर प्राप्तियों के अनिवार्य हिस्से का आवंटन (सात प्रतिशत) शामिल था। शेष से राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के लिये सहायता अनुदान लेखांकन एवं अंत पूंजी शेष (तीन प्रतिशत) के बाद सरकार के पास सकल जुटाए गए साधनों का मात्र 16 प्रतिशत अन्य गतिविधियों पर खर्च करने के लिये बचा था।

1.2.4 सी एफ आई के प्राप्तियां एव संवितरण-दो वर्ष की तुलना

वर्ष 2017-18 व 2018-19 के लिये भारत की समेकित निधि (सी एफ आई) में प्राप्तियाँ और संवितरण **तालिका 1.4** में दिया गया है।

तालिका 1.4 समेकित निधि से प्राप्तियों और संवितरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्तियां		संवितरण		
	2017-18	2018-19		2017-18	2018-19
कर राजस्व	12,46,178	13,19,011	सामान्य सेवाएँ	10,10,124	11,02,022
गैर-कर राजस्व	4,41,383	4,86,389	सामाजिक सेवाएँ	1,01,337	1,07,414
बाहरी सहायता	3,582	1,063	आर्थिक सेवाएँ	6,47,098	6,69,423
पूंजीगत प्राप्तियाँ	1,00,048	94,979	सहायता अनुदान तथा अंशदान	3,81,525	3,82,712
लोक ऋण	65,54,002	67,58,482	पूंजीगत लेखे पर व्यय	3,25,116	3,99,523
ऋण एवं अग्रिम	70,639	30,257	लोक ऋण	58,72,605	60,64,945
			ऋण एवं अग्रिम	82,136	54,667
भारत की कुल समेकित निधि	**84,15,832**	**86,90,181**		**84,19,941**	**87,80,706**

स्त्रोत: संघ सरकार के वित्त लेखे।

कुल प्राप्तियों में पिछले वर्ष 2017-18 की तुलना में तीन प्रतिशत (₹2,74,349 करोड़) की वृद्धि हुई। गैर ऋण प्राप्तियों में 3.75 प्रतिशत (₹69,868 करोड़) तथा ऋण प्राप्तियां में 3.12 प्रतिशत (₹2,04,481 करोड़) की वृद्धि हुई।

पिछले वर्ष की तुलना में गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि निम्नलिखित मामलों में उल्लेखनीय थी:

i. कर राजस्व में वृद्धि ₹72,833 करोड़ (छः प्रतिशत) हुई जिसमें से निगम कर में ₹33,795 करोड़ (नौ प्रतिशत) और निगम कर से भिन्न आय पर कर में ₹32,582 करोड़ (14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। तथापि वर्ष 2018-19 के दौरान कर बायोन्सी[5] 0.75 थी, इसकी तुलना में 2017-18 में यह 1.05 थी ।

ii. गैर-कर राजस्व में ₹45,005 करोड़ (10 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जिसमें लाभांश/ लाभ से प्राप्तियों में ₹22,060 करोड़ (24 प्रतिशत[6]), सड़कों व पुलों से आय में ₹10,798 करोड़ (119 प्रतिशत) और अन्य संचार सेवाओं

[5] कर बायोन्सी पूर्व वर्ष के सकल राजस्व में प्रतिशतता परिवर्तन एवं सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी) में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। जी डी पी के आंकड़े सी एस ओ की दिनांक 31 मई 2019 की प्रैस विज्ञप्ति के अनुसार है।

[6] पूर्व वर्ष की तुलना में सात इकाईयाँ के लाभांश में कोई परिवर्तन नहीं है। 47 इकाइयों ने ₹32,500 करोड़ का उच्चतर लाभांश घोषित किया था 10 अतिरिक्त इकाइयों ने ₹216 करोड़ का लाभांश की घोषणा तथा 48 इकाइयों ने पूर्व वर्ष की अपेक्षा कम लाभांश की घोषणा थी।

में ₹8,751 करोड़ (27 प्रतिशत) की वृद्धि रही। लाभांश/ लाभ के तहत उच्च प्राप्तियाँ मुख्यतः भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिशेषों/लाभांश की अधिक प्राप्तियों के कारण थी। सड़कों और पुलों से होने वाली आय के तहत उच्च प्राप्तियों को गलत दर्शाया गया, जो कि ₹10,250 करोड़ से अधिक दिखाया गया था जो कि केन्द्रीय सड़क निधि से समकित निधि में गैर कर राजस्व में गलत हस्तांतरण की बुकिंग के कारण था। (विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट के अध्याय- 2 में है।)

iii. पूंजीगत प्राप्तियों में कमी पिछले वर्ष की तुलना में इक्विटी विनिवेश (₹17,997 करोड़) से कम प्रीमियम प्राप्त होने से हुई। कुल विनिवेश में प्रीमियम का प्रतिशत 2017-18 में 97 प्रतिशत से कम होकर 2018-19 में 94 प्रतिशत हो गया।

पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 में राजस्व व्यय में ₹1,21,487 करोड़ (5.67 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में से अधिकांश ₹91,898 करोड़ (9.1 प्रतिशत) 'सामान्य सेवाओं' पर अधिक व्यय के कारण थी। ''सामान्य सेवाओं'' पर अधिक व्यय के विश्लेषण से पता चलता है कि ₹51,845 करोड़ (9.5 प्रतिशत) की सबसे अधिक वृद्धि ''ब्याज अदायगियां और ऋणशोधन'' में थी। ₹10,000 करोड़ से अधिक की महत्त्वपूर्ण वृद्धि, प्रशासनिक सेवाओं (₹13,387.4 करोड़-15.71 प्रतिशत), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति सेवाओं (₹14,466.2 करोड़-9.93 प्रतिशत), रक्षा सेवाओं (₹11,017 करोड़-5.71 प्रतिशत) में देखी गई थी। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के मामले में वृद्धि रक्षा पेंशन में ₹9,775 करोड़ (10.6 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण थी। इस रिपोर्ट के पैरा 2.3.2.1 (ख) में, ₹14,000 करोड़ के रक्षा पेंशन स्क्रॉल के निपटान नहीं किए जाने का और ₹5,000 करोड़ के रक्षा पेंशन व्यय के अनियमित उत्क्रमण का उल्लेख है। यदि इन राशियों को जोड़ दिया जाता है, तो रक्षा पेंशन व्यय में वास्तविक वृद्धि ₹28,775 करोड़ अर्थात पिछले वर्ष से 31.3 प्रतिशत अधिक होगी कि जो एक रैंक एक पेशंन के कार्यान्वयन के निरन्तर प्रमुख प्रभाव का संकेतक है। सामाजिक सेवाओं व आर्थिक सेवाओं पर व्यय में मामूली वृद्धि ₹6,077 करोड़ (छः प्रतिशत) तथा ₹22,325 करोड़ (3.5 प्रतिशत) थी।

पूंजीगत लेखे पर खर्च में वृद्धि ₹74,407 करोड़ (22.89 प्रतिशत) थी तथापि यदि दोनों वर्षों में बैंक पुनः पूंजीकरण की राशि को व्यय से कम कर दिया जाए तो पूंजीगत लेखे पर व्यय (हांलाकि मात्र ₹58,407 करोड़) 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.3 संघीय वित्तों के अन्य मुख्य बिन्दु

1.3.1 सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों अन्य संयुक्त स्टॉक, कंपनियों, सहकारी बैंकों और संस्थाओं आदि में निवेश

यू जी एफ ए के विवरण 11 में सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों, संस्थाओं आदि में भारत सरकार के कुल निवेश वापसी अभिलेखित है। यह विवरण दर्शाता है कि 2018-19 की समाप्ति पर, इन इकाइयों में संघ सरकार का कुल निवेश ₹9,89,546 करोड़ था, जो कि 2017-18 से ₹1,93,150 करोड़ से अधिक था। यह वृद्धि पी.एस.बी/ राष्ट्रीयकृत बैंको के पुर्नपूंजीकरण (₹1,06,000 करोड़) एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (₹35,819 करोड़), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (₹9,172 करोड़), डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (₹6,277 करोड़) तथा भारतीय निर्यात आयात बैंक (₹5,000 करोड़) में निवेश के कारण हुई।

वर्ष के दौरान केंद्र सरकार ने लाभांश/ अधिशेष से ₹1,13,427 करोड़ 112 इकाइयों में ₹4,31,283 करोड़ निवेश से प्राप्त किये इसकी तुलना में वर्ष 2017-18 में 109 इकाइयों से ₹91,367 करोड़ प्राप्त हुये थे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, लाभांश/ अधिशेष की प्राप्ति राशि में से अकेले आर बी आई से प्राप्त लाभांश (₹68,000 करोड़) था जोकि इस शीर्ष में कुल प्राप्तियों का 60 प्रतिशत था। इस शीर्ष में अन्य प्रमुख इकाइयों ने प्राप्ति राशि का 30 प्रतिशत योगदान किया, जिसमें तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग (₹6,290 करोड़), कोल इंडिया लिमिटेड (₹5,839 करोड़), इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (₹5,383 करोड़), नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (₹2,957 करोड़), पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (₹2,514 करोड़), हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (₹2,496 करोड़), जीवन बीमा निगम (₹2,261 करोड़), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹2,091 करोड़), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (₹2,003 करोड़), ग्रामीण विधुतीकरण निगम लिमिटेड (₹1,344 करोड़) और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (₹1,222 करोड़)।

1.3.2 सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंको और संस्थाओं आदि में विनिवेश

विनिवेश गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों का एक मुख्य भाग है। यू जी एफ ए के विवरण 10 में विनिवेश से कुल प्राप्ति को दर्शाया गया है और विवरण 11

इकाईवार स्थिति दर्शाता है। वर्ष के दौरान सरकार ने विनिवेश[7] से ₹72,620 करोड़ प्राप्त किये जबकि वर्ष 2017-18 में यह ₹88,970 करोड़ था। पांच इकाईयों में विनिवेश से (₹52,125 करोड़) की प्राप्ति हुई जो कि कुल प्राप्ति की 71.78 प्रतिशत थी। ये ग्रामीण विधुतीकरण निगम (₹15,664 करोड़), कोल इंडिया (₹12,287 करोड़), तेल एवं प्राकृतिक गैस कॉरपोरेशन (₹8,738 करोड़), इंडियन ऑयल (₹8,665 करोड़) तथा नेशनल थर्मल पॉवर कॉरपोरेशन (₹6,771 करोड़) से थी। वर्ष के लिए चार सार्वजनिक उपक्रमों आर ई सी लिमिटेड, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एच एस सी सी (इंडिया) लिमिटेड और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड की रणनीतिक विक्रय से ₹15,914 करोड़[8] प्राप्त हुए। यह विक्रय क्रमानुसार पी एफ सी लिमिटेड, बंदरगाह न्यास संघटन, एन बी सी सी लिमिटेड और वेपकोस (डब्ल्यू ए पी सी ओ एस) लिमिटेड को दिये गये, जो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं हैं, इस तरह के विनिवेश से केवल सरकार के पास पहले से ही मौजूद सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों का हस्तांतरण हुआ। विनिवेशित सार्वजनिक उपक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र/ सरकार की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ।

1.3.3 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

यू जी एफ ए विवरण 4 संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों के संबध में स्थिति दर्शाता है। 31 मार्च 2019 तक 19 मंत्रालयों/विभागों की बकाया गारंटी राशि ₹4,47,626 करोड़ थी वर्ष के दौरान ₹2,659 करोड़ गारंटी शुल्क में से भारत सरकार को केवल ₹928[9] करोड़ प्राप्त हुए। पाँच मंत्रालयों/ विभागों (औषध विभाग, नागर विमानन मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, लघु, कुटीर एंव मध्यम उपक्रम मंत्रालय और आर्थिक मामलों के विभाग) ने 2018-19 के दौरान ₹1,711 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं किया। दूरसंचार विभाग के तहत महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) द्वारा वर्ष 2018-19 की ₹30 करोड़ गारंटी शुल्क का 2017-18 में अग्रिम भुगतान किया गया। सरकार के तीन मंत्रालयों/ विभागों नामतः कृषि और सहकारिता विभाग, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, द्वारा प्राप्य गारंटी शुल्क को माफी/छूट प्रदान की गई।

---

7 अंकित मूल्य के प्रति ₹4,449 करोड़ (छः प्रतिशत) तथा प्रीमियम से प्रति ₹68,171 करोड़ (94 प्रतिशत)

8 स्त्रोतः वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19

9 वाणिज्य विभाग द्वारा ₹10 करोड़ अधिक प्राप्त किये भी सम्मिलित।

1.3.4 लोक ऋण की स्थिति

यू जी एफ ए का विवरण 14 आंतरिक और बाह्य ऋण की विस्तृत स्थिति देता है जो एक साथ संघ सरकार के लोक ऋण का गठन करती है एवं भारत की समेकित निधि पर सुरक्षित होती है। आंतरिक ऋण में मुख्यतः बाजार ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को जारी की गई प्रतिभूतियां, खजाना बिल और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्प बचत निधि, डाक जीवन बीमा एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को जारी विशेष प्रतिभूतियां समाहित है। बाह्य ऋण में विदेशी सरकारों और अंतरराष्टीय निकायों से प्राप्त ऋण होते हैं।

संघ सरकार का कुल ऋण 31 मार्च 2017 को ₹59,69,968 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2018 को ₹66,51,365 करोड़ हो गया तथा 31 मार्च 2019 को और बढ़कर ₹73,44,902[10] करोड़ हो गया। हालांकि इन तीन वर्षों की अवधि के दौरान लोक ऋण जी डी पी के 38-39 प्रतिशत के मध्य रहा।

इसके अतिरिक्त, व्यय प्रोफाइल और प्राप्ति बजट 2020-21 में, सरकार ने 2018-19 के दौरान ₹65,602.10 करोड़ की सरकारी पूर्ण सेवा बॉन्ड के रूप में बजट से बाहर की उधारी का खुलासा किया। 31 मार्च 2019 तक संचयी उधारी ₹89,864.10 करोड़ था, जोकि जी डी पी का 0.47 प्रतिशत है।

1.3.5 लोक लेखा देयताएं

संघ सरकार की लोक लेखा देनदारियां उधारकर्ता के बजाय बैंकर या ट्रस्टी के रूप में उत्पन्न होती है। इनमें लघु बचतें, (भविष्य निधि, बीमा निधि),आरक्षित निधि और जमा राशि सम्मिलित होती है। इन देनदारियों को समेकित निधि द्वारा सुरक्षा नहीं प्रदान की जाती है और इन्हें लोक लेखा के हिस्से के रूप में दिखाया जाता है। हालांकि, ये सभी देनदारियाँ, उनके चुकौती या निर्दिष्ट व्यय के संदर्भ में सरकार का दायित्व है। इन लेन-देन को यू जी एफ ए के विवरण सं. 13 में संक्षेपित किया गया है। 31 मार्च 2019 को लोक लेखा की कुल बकाया देनदारियां ₹8,82,119 करोड़ रही जिसमें ₹5,79,609 करोड़ लघु बचत और भविष्य निधि के रूप में तथा ₹3,02,510 करोड़ अन्य दायित्व[11] के रूप में थी।

वर्ष 1999-2000 से लोक लेखा देनदारियों में, लघु बचत एवं बीमा निधि की देनदारियों जो कि विशेष राज्य सरकार को प्रतिभूतियों और अन्य साधनों के साथ-साथ राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन एस एस एफ) के संचालन में हुए

---

[10] ऐतिहासिक दरों परः यू जी एफ ए में 31 मार्च 2019 को वर्तमान मूल्य पर ₹75,49,380 करोड़

[11] आरक्षित निधि एवं जमा राशि

नुकसान को समाहित नहीं करता है। इसके फलस्वरूप लोक लेखा की कुल देयताओं में ₹8,16,244 करोड़ की देनदारियां शामिल नहीं है जो कि एन एस एस एफ में उपचयों, डाकघर जीवन बीमा निधि और ग्रामीण डाक घर जीवन बीमा निधि, जो राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेशित (₹4,71,206 करोड़), सरकारी उपक्रमों में (₹2,71,636 करोड़) डाकघर बीमा निधि (₹73,402 करोड़) से सम्बन्धित है।

31 मार्च 2019 को एन एस एस एफ की ₹15,01,608 करोड़ की कुल देनदारियों के सापेक्ष ₹13,51,761 करोड़ की राशि के निवेश किये गये। सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में (₹2,72,988 करोड़), राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में (₹4,71,206 करोड़), केन्द्रीय/ राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों के विमोचन से एन एस एस एफ में प्राप्त रकम (₹3,35,931 करोड़) के निवेश तथा अन्य केन्द्र सरकार की इकाईयों में निवेश (₹2,71,636 करोड़) थे। नकद शेष (₹36,195 करोड़) को समाहित करते हुए एन एस एस एफ का 31 मार्च 2019 को संचित घाटा ₹1,13,652 करोड़ (कुल देनदारियों का 7.57 प्रतिशत) था, जो कि सरकारी दायित्व था।

यू जी एफ ए की विवरणी 13 में प्रतिबिंबित ₹8,82,119 करोड़ की लोक लेखा देनदारियों की अपेक्षा में एन एस एस एफ में संचित घाटा और किए गए निवेशों को ध्यान में लेते हुए 31 मार्च 2019 तक वास्तविक बकाया लोक लेखा देनदारियां ₹18,12,015 करोड़ रही (₹15,09,505 करोड़ लघु बचत और भविष्य निधि तथा ₹3,02,510 करोड़ अन्य दायित्व)।

1.3.6 आरक्षित निधि और जमा राशि

संघ सरकार के लोक लेखा में आरक्षित निधि और जमा राशि को देय ब्याज और अदेय ब्याज में वर्गीकृत किया गया है। लोक लेखा में 57 आरक्षित निधियों में से 20 देय ब्याज एवं 37 अदेय-ब्याज निधियां हैं। वर्ष के दौरान ₹319 करोड़ और ₹861 करोड़ का ब्याज क्रमानुसार देय ब्याज आरक्षित निधि और जमा राशि से दिया गया। वर्ष के दौरान, 57 आरक्षित निधियों में से 12 का संचालन नहीं हुआ। यू जी एफ ए में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए एकत्र किए गये उपकर, उगाही और शुल्क के संग्रह और उपयोग के लेखांकन के लिए केवल सात आरक्षित निधि लघु शीर्ष स्तर पर बनाई गयी। दो निधियां यथा-राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण निधि व राष्ट्रीय राजमार्ग निधि का मुद्रीकरण को 2018-19 को दौरान परिचालित किया गया था। वर्ष 2018-19 के अंत में सात आरक्षित निधियों में प्रतिकूल शेष थे, जिसे जांच के तहत बताया गया है।